

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक: प.6(2)गृह-12/कारा/2019

जयपुर, दिनांक : 30.09.2021

—: अधिसूचना :-

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कारागार नियम, 1951 के भाग 23 के नियम 3(क) के प्रावधानान्तर्गत पूर्व में मनोनीत निम्नांकित व्यक्तियों को 02 वर्ष की अवधि के लिए उनके नाम के सम्मुख अंकित कारागृहों के लिए गैर सरकारी दर्शक मनोनीत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम कारागृह	मनोनीत गैर सरकारी दर्शक का नाम
1.	जिला कारागृह बूंदी	1. श्री महादेव मीणा पुत्र श्री लुडक्या मीणा, ग्राम जड का नयागांव 2. श्री परमेश्वर झंवर पुत्र श्री प्रहलाद झंवर, बूंदी 3. श्री देवराज गोचर, एडवोकेट
2.	उप कारागृह नैनवा	1. श्री ताराचंद जैन पुत्र श्री सोभागमल, डेई, तह. नैनवा 2. श्री श्योराज मीणा पुत्र श्री जगन्नाथ मीणा, डोडी
3.	केन्द्रीय कारागृह कोटा	1. श्री गुडडू उर्फ नईम, श्री बनियानी, तह0 लाडपुरा कोटा 2. श्री अनिल सुवालका, कोटा 3. श्री विनोद लालवानी, पूर्व सचिव शहर जिला कांग्रेस कमेटी कोटा 4. डॉ. जफर मोहम्मद सदस्य राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी 5. श्री राजेन्द्र सांखला, पूर्व सदस्य राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी 6. श्रीमती सीता भाटी, कोटा
4.	जिला कारागृह हनुमानगढ़	1. श्री मुहमद मुश्ताक पुत्र श्री मोहम्मद इसाक (एडवोकेट) निवासी नई खुन्जा वार्ड नं. 4, हनुमानगढ़ जंक्शन 9414516021 2. श्री भानीराम पुत्र श्री रेखाराम निवासी चक 31 एनडीआर. पो. वोहिलावाली, तह. हनुमानगढ़ 9414632721 3. श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह निवासी ग्राम धोलीपाल, तह. हनुमानगढ़ 9460295287
5.	उप कारागृह नोहर	1. श्री प्रदीप सेवग पुत्र श्री मेघराज सेवग, वार्ड नं. 2, नोहर 2. श्री सुन्दर सैनी पुत्र श्री बद्रीप्रसाद सैनी, वार्ड नं. 28, नोहर
6.	उप कारागृह भादरा	1. श्री कमल सैनी पुत्र श्री गंगा राम सैनी, वार्ड न. 27, तह. भादरा, हनुमानगढ़ 2. श्री एडवोकेट दीवान सिंह पुत्र श्री अमर सिंह रामगढिया, तह. भादरा, हनुमानगढ़

क.न.स.व.

